न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,देवबंद, सहारनपुर।
एस.सी. सं0– 95/2021

सरकार बनाम सोनू आदि

मु0अ0सं0 54/2021

अन्तर्गत धारा 302,201

भा0दं0सं0 थाना नानौता जिला सहारनपुर।

<u>आरोप</u>

मैं सुश्री निधि अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश देवबन्द, सहारनपुर आप अभियुक्तगण सोनू, महक सिह, को निम्नलिखित आरोपो से आरोपित करती हूँ :–

1. यह कि दिनांक 14.02.21 से 15.02.2021 को समय 16:बजे से 8:00बजे के बीच स्थान गाव टिकरोल के बाहर अन्तर्गत थाना क्षेत्र नानौता जिला सहारनपुर में आप लोगो ने मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में मुकदमा वादी अजय कुमार के भाई अक्षय कुमार जो कि दिनांक 14.02.21 को घर से अपने काम पर निकला था उसको मारपीट कर तालाब में फेककर उसकी हत्या की गयी । इस प्रकार आप लोगो ने ऐसा अपराध कारित किया है ,जो धारा 302/34 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत दण्डनीय है और इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2– यह कि उपरोक्त स्थान व समय अन्तर्गत थाना क्षेत्र नानौता जिला सहारनपुर में आप लोगो ने मिलकर साशय के अग्रसरण में मिलकर वादी मुकदमा वादी अजय कुमार के भाई अक्षय कुमार की हत्या कर उसके शव को मुकदमे के साक्ष्य का विलोपन करने के आशय से गांव के उत्तरी ओर तालाब में फेक दिया इस प्रकार आपने ऐसा अपराध कारित किया जो भा0दं0सं0 की धारा 201 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है जो इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आपको निर्देश दिया जाता है कि उक्त आरोपो की बाबत आपका विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाये ।

दिनाक–04.08.2022 (सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।

उक्त आरोप अभियुक्तगण को पढकर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की ।

दिनाक– 04.08.2022 (सुश्री निधि)

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश

देवबन्द, सहारनपुर ।